राजस्व अपील संख्या 64/2022

अनवान

ग्राम पंचायत वासन जरिये सरपंच बनाम राज0 राज्य जरिये जिला कलेक्टर सिरोही

दिनांकः— 4—4—2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.12 (3)(53)राजस्व/2021 685—91 दिनांक 31—1—2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जायें ।

वकील अपीलांट उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत वासन तहसील रेवदर के खसरा नंबर 786/1264 किस्म पहाडी तथा पर्वत चारागाह, की भूमि मे से 5 बीघा भूमि अपीलाधीन आदेश के द्वारा उक्त अपील के रेस्पो0 संख्या 3 हंसकंवर शिक्षण संस्थान वरमाण तहसील रेवदर को आवंटित कर दी इसलिए उक्त आवंटन आदेश विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत पारित किया गया है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त निजी शिक्षण संस्थान के पास पहले से ही ग्राम वासन मे ही खसरा नंबर 950/1, 954/2 एवं 1037 कुल तीन खसरान की 0.45 हेक्टर भूमि उपलब्ध है जिसमे विद्यालय संचालित हो रहा है फिर भी उक्त शिक्षण संस्थान को फायदा पंहुचाने के लिए उक्त चारागाह भूमि का आवंटन किया है जबकि विधि अनुसार चारागाह भूमि को सेट अपार्ट अथवा उसकी किस्म बदली नही जा सकती है । इस संबंध मे वकील अपीलांट ने अपनी बहस के माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णयो की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि इन निर्णयो मे भी गांव के चारागाह, नदी, नाला, मगरा की भूमि पर किसी प्रकार का कोई आवंटन या उसकी किस्म परिवर्तन नही की जा सकती है। वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त आदेश दिनांक 31—1—2022 ग्राम पंचायत की जानकारी के बिना पारित किया हुआ होने की जानकारी अपीलांट को दिनांक 10—3—2022 को होते ही ग्राम पंचायत वासन मे प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत वासन के सरपंच की ओर से जिला कलेक्टर सिरोही को एक ज्ञापन/पत्र प्रेषित कर उक्त आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया परंतु कोई कार्यवाही नही होने पर उक्त अपील पेश करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—1—2022 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने एव विकल्प मे प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का अवसर देकर बाद जांच पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का भी निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो एवं निर्णय आदि का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—1—2022 का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया । जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—1—2022 मे इस आशय के अतिरिक्त निर्देश पारित किये जाते है कि वे अपीलांट ग्राम पंचायत वासन को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का समुचित अवसर देकर ग्राम वासन के खसरा नंबर 786/1264 की भूमि मे से 5 बीघा भूमि के संबंध मे प्रत्यर्थी संख्या 3 हंसकंवर शिक्षण संस्थान वरमाण तहसील रेवदर को किये गये आवंटन का पुनः परीक्षण कर एक माह की समयावधि मे पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे तब तक जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.12 (3)(53)राजस्व/2021 685—91 दिनांक 31—1—2022 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखा जाता है । इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

4/4/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)

डिवीजनल कमिश्नर,

जोधपुर